न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण सख्या – 130 / 2025 (प्रार्थना पत्र)
दायर दिनांक – 24 / 11 / 2025
निर्णय दिनांक – 24 / 11 / 2025

अनवान

1. राजमल पुत्र गोपीलाल जाति गुर्जर निवासी काकरोद तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

: : निर्णय : :

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है कि राजस्व ग्राम काकरोद पटवार मण्डल काकरोद के खाता संख्या 86 में प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि स्थित है। उक्त खातें में प्रार्थी का नाम राजु पुत्र गोपी दर्ज है जिसके स्थान पर राजमल पुत्र गोपीलाल शुद्धि कराए जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जांच हेतु तहसीलदार, देवगढ़ को अग्रेषित किया गया। तहसीलदार, देवगढ़ की जांच रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम काकरोद पटवार मण्डल काकरोद के खाता संख्या 86 में राजु पुत्र गोपी दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड में राजमल पुत्र गोपीलाल दर्ज है पटवार हल्का काकरोद एवं भू–अभिलेख निरीक्षण एवं तहसीलदार देवगढ़ द्वारा राजस्व ग्राम काकरोद पटवार मण्डल काकरोद के खाता संख्या 86 में राजु पुत्र गोपी के बजाय राजमल पुत्र गोपीलाल दर्ज जाने की अनुशंषा की गई।

–::आदेश::–

अतः धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए राजस्व ग्राम काकरोद पटवार मण्डल काकरोद के खाता संख्या 86 में राजु पुत्र गोपी के स्थान पर राजु उर्फ राजमल पुत्र गोपीलाल नाम दुरस्ती किए जाने की स्वीकृति दी जाती है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। यदि कोई न्यायालय स्थगन या राजकीय हित प्रभावित होता है तो तदानुसार कार्यवाही की जावे, अन्यथा निर्णय अनुसार पालना की जावे। यदि रहन का अंकन है तो तद्नुसार अंकित रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 24 / 11 / 2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
जिला राजसमन्द (राज.)

(मोह[illegible] R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
जिला राजसमन्द